प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतीस'

[ 11/3/2016]

प्रश्न सं. [ क्र. 4140 ]

**परिशिष्ट-अ**

# विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4140

## द्वारा माननीय विधायक - श्रीमती रेखा यादव

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में बाजार मूल्य निर्धारित किए जाने एवं बाजार मूल्य मान्य किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपितु म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(5) पूर्व से ही अधिसूचित है। जिसमें उल्लेखित अनुसार प्रकरण का प्रशमन करने से पूर्व अवैध उत्खनित खनिज के बाजार मूल्य से 10 गुना अथवा किसी मामले में रूपए 1000/- से कम नहीं अथवा उत्खनित खनिज की रायल्टी के 20 गुना, इनमें से जो भी अधिक हो का भुगतान करने पर प्रकरण में प्रशमन किए जाने का प्रावधान है। म.प्र. गौण खनिज 1996 में गौण खनिज की रायल्टी दर निर्धारित है परन्तु प्रावधान नहीं होने से बाजार मूल्य निर्धारित नहीं हैं। अपितु गौण खनिजों का प्रचलित बाजार मूल्य (स्थानीय बाजार मूल्य) सामान्यत: खदान की अवस्थिति, गंतव्य स्थल की दूरी, स्थानीय स्तर पर मांग और गुणवत्ता तथा खनन की तकनीक तथा स्थानीय स्तर पर विक्रय दर पर आधारित होने पर जिलेवार भिन्न-भिन्न होना स्वभाविक है। उपरोक्त मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए जिलों में खनिजों के प्रचलित बाजार मूल्य (स्थानीय बाजार मूल्य) का आंकलन जुर्माना प्रस्तावित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

छतरपुर जिले में गत 03 वर्षों में अवैध उत्खनन के 23 प्रकरण बनाए गए जिनमें प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर रूपए 225049880/- अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया एवं उक्त अवधि में अवैध परिवहन के 966 प्रकरण बनाए गए, जिन पर प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर रूपए 23181110/- अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया वहीं बैतूल जिले में गत 03 वर्षों में अवैध खनन के 17 प्रकरण बनाए जाकर प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अर्थदण्ड राशि 91217820/- एवं अवैध परिवहन के 477 प्रकरण बनाए जाकर प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर रूपए 12939942/- अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग